बिहार सरकार

<u>मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–...............................

संख्या–8/आ0 (मु0राज0नि0)–3–03/2022 5980/श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर (आरा) सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध METHODIST CHURCH OF INDIA (MCI) से संबंधित केसरे हिन्द जमींन की अवैध बिक्री का निबंधन कर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता बरतना, एक ही पत्र सं0–1068 दिनांक 28.09.2016 द्वारा दो भिन्न–भिन्न प्रस्ताव समर्पित किया जाना, बी0बी0जान बक्फ की 12 बीघा जमींन का अवैध निबंधन करना, मार्टिन रेलवे की जमींन का अवैध निबंधन, श्मशान घाट के लगभग एक बीघा जमींन का अवैध निबंधन करना, किराया की राशि का भुगतान नहीं करना, अभिलेखागार के अभिलेख से छेड़–छाड़ कर जालसाजी तथा गलत कार्य करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल आचरण करने आदि आरोप में संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–4160 दिनांक–22.12.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (iX) के तहत् अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–18725/2021 प्रमोद कुमार सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक–18.02.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"28. However, this Court is of the view that there is complete procedural irregularity and the disciplinary proceeding proceeded in complete defiance of the statutory prescriptions provided under the Rules, 2005, apart from the memo of charge, enquiry report as well as the impugned order suffer from vice of non-application of mind leading to patent illegality; this Court is, thus, hereby set aside the memo of charge, enquiry report as well as the impugned order as contained in notification under memo no. 4160 dated 22.12.2020 and relegate the matter with liberty to the disciplinary authority to re-examine the matter and if warrants proceed further in accordance with law.

29. Suffice it to observe that on account of setting aside the impugned order; the consequences shall follow with the reinstatement of the petitioner with all the back wages.

30. The writ petition stands allowed."

(17)

साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.02.2025 को पारित आदेश के आलोक में जहाँ तक श्री सिंह के बकाये वेतनादि के भुगतान का आदेश है, वह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0–545/2025 में पारित आदेश के फलाफल से आच्छादित रहेगा। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।''

अतः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18725/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.02.2025 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर (आरा) सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–4160 दिनांक–22.12.2020 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः बहाल किया जाता है। श्री सिंह के अनिवार्य सेवानिवृति की अवधि के बकाये वेतनादि का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0–545/2025 में पारित आदेश के फलाफल से आच्छादित रहेगा।

यह आदेश याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (मु0राज0नि0)–3–03/2022 4980/ पटना, दिनांक– 26.05.25

प्रतिलिपिः–1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/विभागीय सचिव/सचिव, विधि विभाग/निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/एस0सी0 11, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18725/2021 के आलोक में/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर (आरा), सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत पे0–स्व0 श्याम बिहारी सिंह, पता–एम0आई0जी0–177, लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव